

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार
बनमि

आदेश पत्रक ता०- 01/02/2025 से

तक

जिला- बोकारो

केश सं०- 64/2024-25

बुटन भुईया एवं अन्य

केश का प्रकार- झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण।

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01/02/25	राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय, गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-चिलगो के खाता सं०-48, प्लॉट सं०-347, रकबा- 13.30 ए० भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमें 1. बुटन भुईया, पिता- चैता भुईयों, 2. आनंद महतो, पिता- छत्रु महतो, 3. ईश्वर मंहतो, पिता- धरम महतो, 4. हुलास महतो, पिता- धरम महतो, 5. डेगलाल महतो, पिता- धरम महतो, 6. गिरिनंदन महतो, पिता- धरम महतो, 7. अशोक महतो, पिता- चोलो महतो, 8. हेमलाल महतो, पिता- चोलो महतो, 9. जलेश्वर करमाली, पिता- दशरथ करमाली, 10. टिको कमार, पिता- सुखन कमार, ग्राम- चिलगो, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के द्वारा अनाधिकृत रूप से गृह निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1)(e) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि है। अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 24/02/25 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, गोमिया	326 05/02/25 Notice

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के तौर पर टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
24.02.2025	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी द्वारा हाजिरी दिया गया। उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन के पश्चात् प्रथम दृष्टया यह अवैध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है। वर्णित परिस्थिति में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही प्रतिवादियों के विरुद्ध BLR Act, 1950 की धारा 4(h) की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन की माँग करें।  अंचल अधिकारी, गोमिया।	H99 08/03/25 K.C.